

प्रेषक।

जय सिंह, नाइप्रेसो

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप,

बिहार पटना।

संदा मे।

बंदोबस्त पदाधिकारी/अपर समाहर्ता,
बैगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/झरवल/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढी/
सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प० घम्पारण/जमुई/
शेखपुरा/मुग्रे/नालंदा/शिवहर/बाका

पटना, दिनांक :- 23-06-2021

निषय - खतियान एवं मानचित्र के अनुपलब्धता की स्थिति में किए जाने वाले उपाय के संबंध में।

प्रसंग - निदेशालय का पत्रांक-1692 दिनांक-16.06.2021

महाराष्ट्र,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र को आलोक में कहना है कि दिशेष सर्वेक्षण के दौरान जिलों से राजस्व मीजों के गत सर्वेक्षण के खतियान एवं मानचित्र अनुपलब्ध होने की स्थिति में मार्गदर्शन के माम के आलोक में विभागीय स्तर पर बेटक पश्चात प्राप्त सुझावों को संकलित कर यथोचित कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।

निदेशालय कहना है कि प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित कार्य एवं उपाय के अनुपालन को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत संपन्न किया जाना है। इस क्रम में कार्य एवं उपाय को निर्धारित तिथि तक संपन्न करने हेतु समय-सीमा निर्धारण कर इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्य संपन्न कर इस निर्मित तैयार MUS में समय इन्द्राज दिया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझे।

अनुलम्बक— यथोक्त।

दिशासभाजन

(जय सिंह) 1333

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23-06-2021

पत्रांक :- 17-दिशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा)-101/2019 1333

प्रतिलिपि:- संबंधित जिलों के सभी निदेशालय स्तरीय मौडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

प्रियोग

मू-अभिलेख एवं परिमाप
पटना, दिनांक 23-06-2021

ज्ञापांक :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदार्थ)-101 / 2019 । ३२२ पटना, दिनांक २३-०६-२०२१
 प्रतिलिपि:- सुभी चुरुमि सिंह, एम०आई०एस० छाटा एनालिस्ट, आई०टी०सेल, मू-अग्निलेख एवं
 परिमाप निवेशालय का सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

लिंगपत्र

भू—अभिलेख एवं पारिसंकाय

दिनांक—28.04.2021 एवं दिनांक—09.06.2021 को निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रपत्र-5 का लेखन एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य करने हेतु पैकिंग कागजातों से सहायता लेने के संबंध में जूम के माध्यम से हुई बैठक की कार्यवाही।

दिनांक—28.04.2021 को हुए बैठक में श्री श्यामल किशोर पाठक, भा०प्र०स००, सेवा—निवृत्, श्री विनय कुमार ठाकुर, वि०प्र०स००, उप सचिव, राजमन्त्र, बिहार, पटना एवं श्री सुबोध कुमार रिह, वि०प्र०र०० आप सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना भाग लिए।

दिनांक—09.06.2021 की बैठक में श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री चंद्रशेखर विद्यार्थी, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री सुशील कुमार निदेशक, भू—अर्जन, श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चक्रवर्णी, श्री अगिल कुमार सिंह, चक्रवर्णी अनुदेशक, चक्रवर्णी, एवं श्रीमती साईदा खातून, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारखाग ने बैठक में भाग लिए।

2. निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत विगत सर्वेक्षण पश्चात् अधिसूचित अधिकार—अभिलेख/मानचित्र के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रथम घरण के 20 जिलों से यह सूचना दी जा रही है कि इन नामों में प्रपत्र-5 किस प्रकार तैयार किया जाए, के संबंध मागदर्शन दिया जाए।

3. बैठक में उपस्थित सदस्यों से विमर्श पश्चात् यह स्पष्ट हुआ कि विगत सर्वेक्षण के अधिसूचित अधिकार—अभिलेख की अनुपलब्धता की मौजावार निम्न स्थिति हो सकती है—

- (क) अधिकार—अभिलेख अनुपलब्ध, परतु नक्षा उपलब्ध।
- (ख) अधिकार—अभिलेख उपलब्ध, परतु नक्षा अनुपलब्ध।
- (ग) अधिकार—अभिलेख एवं नक्षा दोनों अनुपलब्ध।

4. दिनांक—28.04.2021 एवं 09.06.2021 को हुई बैठक पश्चात् निम्न महत्वपूर्ण सुझाव विगत सर्वेक्षण के अधिकार—अभिलेखों एवं मानचित्र अनुपलब्ध होने की स्थिति में प्राप्त हुए—

- (i) सभी अनुपलब्ध अधिकार एवं मानचित्रों की गामवार (चादरों की स्पष्ट संख्या के साथ) सूची जिला राजस्व कार्यालय एवं अंचलों से प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त कर ली जाय।
- (ii) जिन मौजों के अधिकार—अभिलेख अंचलों एवं जिला अभिलेखागार में अनुपलब्ध हैं, उन नामों में यह जांच कर ली जाय कि अनुपलब्धता के क्या कारण हैं एवं आवश्यकतानुसार संबंधित थाना में र्टेशन छायरी इंट्री/ग्रामगिरी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय। यदि पूर्व में विगत सर्वेक्षण के खतियान थों जाने आवश्यक नष्ट होने की घटना हुई हो तो इसकी सूचना राजनीय थाना की र्टेशन छायरी इंट्री संसमय की गई हो, इस आशय की छानवीन जिला कार्यालय, राजस्व शाखा की स्तर से कर ली जाय।
- (iii) जिला अभिलेखागार एवं संबंधित अंचल कार्यालय में जिन मौजों का विगत सर्वेक्षण का खतियान अनुपलब्ध है, इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाना अपेक्षित होगा।
- (iv) जिला नजारत/जिला का सामान्य शाखा/बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारखाग, पटना से जिन मौजों के नक्षा के सभी चादर या कुछ चादर अनुपलब्ध हो तो उनसे भी इस आशय का प्रमाण—पत्र कर लिया जाना अपेक्षित होगा।

- (v) अंचल कार्यालय में भी नवशा रहते हैं, उनसे भी नवशा अनुपलब्ध रहने की विधि प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। संभव है कि इन सभी कार्यालयों प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के दौरान याचित नवशा उपलब्ध ही सके।
- (vi) यह भी संभव है कि अंचल अमीनों के पास भी अनुपलब्ध नवशा की प्रति उपलब्ध हो जाए। अतः उनसे भी नवशा अनुपलब्ध होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- (vii) विगत दर्शाएँ में भू-अर्जन के मामलों में खतियान की प्रति बनाई गई है, अतः इन अभिलेखों से भी खतियान की प्रति विधिवत् प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है, यदि उक्त मीजे का खतियान वर्तमान में अनुपलब्ध हो तो।
- (viii) जिन राजस्व द्वारा का खतियान/नवशा अनुपलब्ध है वहाँ स्थानीय स्तर पर रेयतों/अन्य स्त्रोतों यथा सिंधाई विभाग के अधीन कार्यालय, बन विभाग के अधीन कार्यालय, पथ प्रमंडल विभाग आदि के पास पूर्व के खतियान का नकल एवं नवशा उपलब्ध हो सकता है।
- (ix) विगत खतियान/नवशा उपलब्ध कराने के लिए लगातार तीन दिनों तक समाचार-पत्र एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर अनुपलब्ध खतियान/नवशा उक्त स्त्रोतों से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
- (x) इस संबंध में यह भी अपेक्षित होगा कि रेयतों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले खतियान की प्रति/नकल का सत्यापन संबोधित जिले के अभिलेखागार से करा लिया जाय।
- (xi) साथ ही रेयतों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होनेवाले नवशों का सत्यापन बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से कराया जाना अपेक्षित होगा।
- (xii) सरकारी भूमि की जमाबंदी यदि विधिवत् दर्ज है तो ऐसे मामलों में खतियान अनुपलब्ध होने की स्थिति में जमाबंदी के आधार पर प्रपत्र-5 को तैयार किया जा सकता है, वशतेर्ण की उक्त जमाबंदी की सत्यापित सूची एवं विवाद रहित रहने का प्रमाण-पत्र अंचलाधिकारी द्वारा बन्दीबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- (xiii) निम्न कागजातों के आधार पर भी प्रपत्र-5 तैयार किया जा सकता है वशतेर्ण उन कागजों की सत्यापित प्रति जिला के समाहिता के स्तर से निर्णय प्रश्नवाल् जिला अभिलेखागार/अंचल कार्यालय से बन्दीबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाए –
- (क) प्रपत्र-5 में खेसरों की विवरणी के लिए पूर्व में हल्का स्तर पर तैयार की गई खेसरा पंजी के आधार पर तैयार की जा सकती है।
- (ख) पूर्व में अमीदारों द्वारा सरकार को भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के आधार पर जमीदारी रिटर्न दाखिल किया गया था। यदि इन जमीदारी रिटर्न पर रामी विधिसम्मत कार्रवाई संपन्न कर ली गई तो इनके आधार पर भी प्रपत्र-5 तैयार करने की कार्रवाई की जा सकती है, वशतेर्ण के उक्त मीजा पुनरीक्षित सर्वे अधिसूचित न हो।

(ग) राज्य के पुराने अभिलेखागारों में पूर्व के समय के जमीदारों का एक "तीजी दस्ता" हुआ करता था। इन तीजी दस्ता में संघरित दस्तावेजों की सहायता से प्रपत्र-5 को तैयार किया जा सकता है।

(घ) विगत सर्वेक्षणों के पश्चात अधिसूचित खतियान अनुपलब्ध होने की स्थिति में जिला अभिलेखागारों में उक्त सर्वेक्षण के दौरान तैयार खेसरा पंजी एवं प्रालृप खतियान जो प्रकाशित हुए होंगे आपत्ति प्राप्ति हेतु के आधार पर भी प्रपत्र-5 विशेषकर सरकारी भूमि के मानले में, टैयार करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(ङ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-19(9)रा10, दिनांक- 03.01.2018 जो क्षतिग्रस्त जमाबन्दी पंजी को पुनर्गठित करने के सम्बन्ध में है, जो भी सन्वर्भित किया गया। उक्त पत्र में जिन 15 प्रकार के अभिलेखों/पंजीयों को आधार जमाबन्दियों को पुनर्गठित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, उसका शातप्रतिशत अनुपालन अंचल स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही इन के आधार पर भी प्रपत्र-5 के निर्माण का निर्णय लिया जा सकता है।

(च) जिन गामलों में विगत अधिसूचित खतियान अनुपलब्ध हो उन भौजों को ऐततों द्वारा प्रपत्र-2 में दी गई स्वाधीनणा में दिए गए विवरण का रैयतवार स्थल सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। साथ ही उपरोक्त (क) से (अ) तक में वर्णित कागजातों के आधार पर सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। तत्पश्चात ऐसे गामलों में जो प्रपत्र-5 तैयार होंगे, उनका घ्राम-समा में अनुमोदन अपेक्षित होगा तथा ऐसे गामलों में दखल-कब्जा का कोई स्पष्ट मामला ना हो, इस संबंध में अवगत होने के पश्चात इनके आधार पर भी प्रपत्र-5 अतिम रूप से तैयार किया जा सकता है एवं ऐसे सत्यापित ऑकड़ों का अनुमोदन घ्राम-समा के माध्यम से किया जाए।

(xiv) घरकबन्दी अभियान के तहत कई भौजों का सी0एस0/आर0एस0 खतियान एवं नवशा घरकबन्दी कार्यालयों द्वारा प्राप्त किया गया है और यह सामन्य है कि अनुपलब्ध खतियान एवं नवशा इन कार्यालयों द्वारा बापस न किया गया हो। अतः ऐसे गामलों में जाँच कर अनुपलब्ध खतियान एवं नवशा उपलब्ध कराया जा सकता है।

साथ ही घरकबन्दी अभियान के तहत पूर्व खतियान के आधार पर प्रपत्र-17 का भाग-1 तैयार किया गया था, जिन भौजों का खतियान अनुपलब्ध है, उन भौजों का प्रपत्र-5 तैयार करने में प्रपत्र-17 के भाग-1 की मदद ली जा सकती है।

(xv) सिविल न्यायालय द्वारा कठिपय मामलों में भौजों का खतियान प्रदर्श हेतु मांग की जाती है और यह सामन्य है कि न्यायालय का भौजों का खतियान बापस न हुआ हो। ऐसे मामलों में अंचल कार्यालय, जिला विधि शाखा एवं जिला अभिलेखागार, सरकारी अधिकता तथा लोक अभियोजक से संपर्क कर अनुपलब्ध खतियानों को न्यायालयों से विधिवत् ग्राप्त कर सकते हैं।

5. बैठक के दौरान कुछ अन्य सुझाव भी ग्राप्त हुए, जो विशेष सर्वेक्षण के कार्य में सहायक होंगे—

- (i) जिन भौजों खातियान अनुपलब्ध हो, वहां यदि नवशा उपलब्ध है तो उन नवशों में से सरकारी भूमि के चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित होते हैं, उसके आधार पर भी सरकारी भूमि मामले उन्हें पहचाने अथवा विभिन्न करने की कार्रवाई की जा सकती है।
- (ii) जिन भौजों के खातियान अनुपलब्ध हो उक्त राजस्व ग्राम का अग्र ली0एस0 /आर0एस0 नवशा उपलब्ध है तो विहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से उक्त राजस्व ग्राम का ली0एस0 /आर0एस0 नवशा के आधार पर खेसरावार रक्का प्राप्त किया जा सकता है, जिनका उपयोग प्रपत्र-5 के निर्माण में हो सकता है।
- (iii) अंचलों में भी सरकारी भूमि/सीरातों/भू-हवाबंदी से अर्जित भूमि की पंजी होती है। अंचल कार्यालय द्वारा भी इन पंजियों से सत्यापित सूची की मांग कर प्रपत्र-5 तैयार करने में मदद ली जा सकती है।
- (iv) विभिन्न भौजों के खातियान अनुपलब्ध है परंतु विमत कई वर्षों से राजस्व कर्मचारियों द्वारा सरकारी भूमि एवं सीरातों की पंजी हल्का कच्छहरी में संधारित रखा जाता है। उस रूप से भी अंदलाधिकारी द्वारा सत्यापित सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त की जा सकती है। इन मामलों में हल्का कर्मचारियों के रूप से अग्र सरकारी भूमि की पंजी उनके हल्का कच्छहरी में नहीं होती इस आशय का प्रमाण—पत्र विविच्छ प्राप्त कर लिया जाय।
- (v) कुछ जिलों यथा—दरभंगा प्रमंडल के जिले एवं अन्य जिलों में विगत सर्वेक्षण (आर0एस0) के खातियान एवं नवशा अधिसूचित किए जाने के बावजूद अभी भी जमाबंदी ली0एस0 खातियान के आधार पर है। ऐसे जिलों में यह आवश्यक होगा कि वहां विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व जमाबंदी को नये अधिकार—अभिलेख के आधार पर आदान/संशोधन कर लिया जाय।
- (vi) सरकारी भूमि जो अर्जन, दान, विद्वानी, हस्तांतरण से विभिन्न विभागों को प्राप्त हुआ है और उनकी जमाबंदी दर्ज नहीं है। ऐसे मामलों में अविलेख उक्त विभागों के स्तर से सक्रियता के साथ अंचल कार्यालय से जमाबंदी कार्यम कराया जाना चुनिशिवत किया जाय।

अत में सघन्यवाद देटक की कार्यालयी समाप्त की गई।

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

विहार, पटना।

शापांक: 17—विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)-101/2019-1653 पटना, दिनांक: -11-06-2021
 प्रतिलिपि:- श्री श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0. (सेया-निवृत) / श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / श्री सुशील कुमार, निदेशक, भू-अर्जन / श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / श्री नवल विश्वार, संयुक्त निदेशक, घकबन्दी निदेशालय / श्री अनिल कुमार सिंह, घकबन्दी अनुदेशक, घकबन्दी निदेशालय / श्री विनय कुमार ठाकुर, भी0प्र0से0. उप सचिव, राजमन्त्र/ श्री सुबोध कुमार सिंह, भी0प्र0से0. आप सचिव, गाननीय मंत्री, परियहन विभाग / श्रीमती सर्वादा खातून, उप निदेशक, विहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग विहार, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा०)-101/2019 1653 पटना, दिनांक :- 11-06-2021
प्रतीलिपि:- सुशी सुरभि सिंह, एम०आई०एस० डाटा एनालिस्ट, आई०टी०सैल, भू-अभिलेख एवं
परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा०)-101/2019 1653 पटना, दिनांक :- 11-06-2021
प्रतीलिपि:- अपर मुख्य राज्यिक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को प्रधान आप
सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप